बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 24.01.25

सं0सं0–17/विविध–01–218/2024 94(17) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजीडेन्ट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली–2008 एवं (संशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट के तीन वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:–

ORTHOPAEDICS((DEGREE))								
SR NO	**REG NO**	**NAME**	**CAT**	**SELECTION CAT**	**DOB**	**SEX**	**BHS**	**POSTING PLACE**
1	9241000036	LALIT KISHORE	UR	UR	25-Feb-82	M	BHS	NMCH Patna
2	9241000112	UMESH PRASAD	BC	UR	02-Feb-88	M	BHS	PMCH Patna
3	9241000289	SHASHI BHUSHAN MANI	BC	UR	09-Apr-80	M	BHS	DMCH, Darbhanga
4	9241000237	KUMAR RAHUL	BC	UR	15-Jun-86	M	NO	BMIMS Pawapuri, Nalanda
5	9241000401	SHALU GUPTA	BC	UR	03-Nov-89	F	NO	NMCH Patna
6	9241000172	SHASHI KUMAR	BC	UR	10-Aug-86	M	BHS	DMCH, Darbhanga
7	9241000104	INTEKHAB AKRAM	EB	UR	02-Jan-87	M	BHS	PMCH Patna
8	9241000134	AMARNATH CHATURVEDI	EW	UR	11-Dec-87	M	BHS	NMCH Patna
9	9241000030	ARVIND KUMAR ANAL	BC	UR	08-Dec-88	M	NO	PMCH Patna
10	9241000227	PRIYAM PANCHANAN	SC	UR	20-Dec-95	M	NO	PMCH Patna
11	9241000113	SANJEEV KUMAR	BC	UR	10-Jan-91	M	NO	NMCH Patna
12	9241000043	KUSHAGRA GARG	EW	EWS	22-Jun-91	M	NO	ANMMCH, Gaya
13	9241000077	DEEPSEN NARAYAN	BC	BC	30-Aug-94	M	NO	GMC Purnea
14	9241000133	ABHISHEK KUMAR	SC	SC	26-May-96	M	BHS	SKMCH, Muzaffarpur
15	9241000052	SUDIP DANIEL MINZ	ST	ST	20-Jul-96	M	NO	DMCH, Darbhanga
16	9241000236	ALOK KUMAR BHAGAT	SC	SC	21-Jan-84	M	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
17	9241000060	VINOD KUMAR	EB	EBC	30-Aug-84	M	BHS	JLNMCH, Bhagalpur
18	9241000367	VIKASH KUMAR	EB	EBC	05-Aug-90	M	NO	DMCH, Darbhanga
19	9241000238	VIVEKANAND KUMAR	EB	EBC	05-Feb-91	M	NO	ANMMCH, Gaya
20	9241000012	ABHISHEK KUMAR	EB	EBC	03-Mar-96	M	NO	JLNMCH, Bhagalpur
21	9241000092	MADAN KUMAR SHARMA	EB	EBC	12-Jul-83	M	BHS	DMCH, Darbhanga
22	9241000210	BAIDYANATH KUMAR DAS	EB	EBC	12-Jul-84	M	NO	SKMCH, Muzaffarpur
23	9241000414	VIVEK KUMAR	EW	EWS	29-Nov-88	M	NO	GMC Bettiah

24	9241000158	ADITYA SINGH	EW	EWS	28-Mar-95	M	NO	GMC Purnea
25	9241000267	SUSHIL KUMAR	SC	SC	06-Mar-93	M	NO	SKMCH, Muzaffarpur
26	9241000379	SMIT SAURABH	EB	EBC	28-May-92	M	NO	BMIMS Pawapuri, Nalanda
27	9241000072	MANISH RAJ	EB	EBC	11-Aug-93	M	NO	BMIMS Pawapuri, Nalanda
28	9241000296	RANJAN KUMAR GUPTA	EB	EBC	07-Apr-90	M	NO	ANMMCH, Gaya

ORTHOPAEDICS((DIPLOMA))

SR NO	REG NO	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9241000163	PRABHAT KUMAR	SC	SC	25-Dec-76	M	BHS	ANMMCH, Gaya
2	9241000415	PAPPU KUMAR	EB	EBC	05-Mar-85	M	BHS	JNKTMCH Madhepura

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।
3. EWS कोटि में अभ्यर्थियों का चयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 2019 के नियम–11 के अन्तर्गत किया गया है।
4. सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेन्ट/ट्यूटर के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदों के अधीन माना जायेगा।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।
6. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को छोड़कर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एवं कटौतियाँ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11.01.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत की जायेगी।
7. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।
8. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगें।
9. किसी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त संस्थान के अन्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरांत किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हों तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।
11. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।

94(17)
24.01.25

12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–218/2024– 94(17) पटना/दिनांक– 24-01-25

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सीनियर रेजिडेंट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 24/01/25
विशेष कार्य पदाधिकारी।